कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल खड़गपुर–तारापुर

पत्रांक :– 2343(अनु)/ तारापुर   दिनांक:– 11/12/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव,
बिहार ग्रमीण पथ विकास अभिकरण (ब्राडा), पटना।

विषय :– **State Scheme (NABARD)** अंतर्गत **Sadhi mod to Kharwa Das Tola tak path nirman kary** पथ के अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **State Scheme (NABARD)** अंतर्गत **Sadhi mod to Kharwa Das Tola tak path nirman kary** पथ के अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार रू0– **1.42499** लाख की आवश्यकता है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि पथ अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु अधियाचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

11/12/24

कार्यपालक अभियन्ता,

11/12/24

राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत पथों में पंचवर्षीय अनुरक्षण प्रपत्र

क्र0 सं0	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	एकरारनामा के अनुसार प्राक्कलित राशि वर्षवार						व्यय की राशि वर्षवार						प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रशा दिनांक सहित (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि सहित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)	अनुरक्षण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक/दिनांक	मूल निर्माण कार्य करने की वास्तविक तिथि	वर्तमान अधियाचित राशि						कुल अधियाचित राशि (लाख में)
			प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)					प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Kharagpur-Tarapur	Sadhi mod to Kharwa Das Tola tak path nirman kary	0.54392	0.66498	1.19773	1.45402	1.93235	5.79300	0.00000	0.65410	1.15499	0.00000	0.00000	1.80909	103.41 Lacs Lt. No. 5266 dt. 15.11.2018	6.44000	Lt. No. 5266 dt. 15.11.2018	10.01.2020	0.00000	0.00000	0.00000	1.42499	0.00000	1.42499	1.42499

1. कार्य विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2. पथ मे MQMU/PQM/IE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नही है।
3. अनुमोदित परिमाण विपत्र की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% सीमा के भीतर है साथ ही अनुमोदित परिमाण के मदों की मात्रा का विस्तार का
4. अनुलग्नक – प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र, अनुमोदित परिमाण विपत्र एव एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।

11/12/24

11/12/24
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल खड़गपुर–तारापुर

EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION,

Munger

FROM GFR 19 - A

(See Government of India's Decision (I) below Rule - 150)

Form of Utilisation Certificate upto the month of DEC- 2024

Name of the Head :- NABARD Maint. Fund **Month:- December 2024**

Sl. No.	Name of Bridge	Sanctioned No./ Date	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	2	4	5	6
1	**Sadhi mod to Kharwa Das Tola tak path nirman kary**	**103.41 Lacs Lt. No. 5266 dt. 15.11.2018**	**1.80909**	Certified that out of Rs1.80909 Lacs received during the Maintenance of this road favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Kharagpur-Tarapur, Bihar a sum of Rs 1.80909 Lacs has been utilized for the purpose of NABARD Maint. Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 0.00000 Lacs remaining un-utilized at the end of the period under.
	Total -		1.80909	

2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for witch it was Sanctioned.

Kind of Checks Exercised :-

i. Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.

ii.Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.

iii. Construction materials have been tested.

iv. Measurements have been recorded in the MBs and test checks conducted by the Assistant Engineer/ Executive Engineer.

v. All other codal formatities have been observed.

3 **Physical Progress achieved :-**

i. Construction of Road Works.

ii. Construction of CD. Works.

11/1/3/24

Divisional Accounts Officer

RWD Works Division Kharagpur - Tarapur

Executive Engineer

RWD Works Division, Kharagpur-Tarapur

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–123/2018 5266 /पटना, दिनांक– 15/11/18

प्रेषक,

संजय कुमार भा0 प्र0 से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के **मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारपुर के अधीन असरगंज प्रखंड के साढ़ी मोड़ से खरवा दास टोला तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.430 मी0 निर्माण हेतु रू0 96.97 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 6.44 लाख अर्थात कुल राशि 103.41 लाख (एक करोड़ तीन लाख एकतालिस हजार रूपये)** मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय– 103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारपुर के **अधीन असरगंज प्रखंड के साढ़ी मोड़ से खरवा दास टोला तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 1.430 मी0 निर्माण हेतु रू0 96.97 लाख** एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 6.44 लाख अर्थात कुल राशि **103.41 लाख (एक करोड़ तीन लाख एकतालिस हजार रूपये)** मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारपुर संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड– 37–4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारपुर द्वारा संबंधित योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से क्रमशः अधीक्षण अभियंता, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता–2, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, खड़गपुर–तारपुर सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना शीर्ष के अधीन स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–123/2018 के पृ0 सं0–03/टि0 पर दिनांक 20.04.2018 को किया गया।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका सं0–मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–123/2018 मे पृष्ठ 07/टि0 पर दिनांक 22.10.2018 को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।

Kd Singh

EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D WORKS DIVISION
Kharagpur-Tarapur (Munger)

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4–45/94–301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0 96 दिनांक 03.01.2008 एवं 3758 दिनांक 30.05.18 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–123/2018 के पृष्ठ संख्या– 11 /टि0 पर दिनांक–06.11.18 को प्राप्त है।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, खड़गपुर–तारपुर से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयवधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

14. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध किया जाय।

15. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–123/2018 5266 /पटना, दिनांक–15/11/18

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–123/2018 5266 /पटना, दिनांक–15/11/18

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/उप विकास, आयुक्त मुंगेर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ग्राडा/मुख्य अभियंता–2, पटना ग्रा0 का0 वि0/मु0 अ0–4 (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारपुर/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई0 टी0 मैनेजर, ग्रा0 का0 वि0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

Kd Singh

EXECUTIVE ENGINEER/
R.W.D. WORKS DIVISION
Kharagpur-Tarapur (Munger)

(Ministry of Rural Development, Govt. of India)
YEAR (2018 - 2019)